संख्या-7/2026-वे0आ0-2-446/दस-2026-ई0प0क0सं0-2015306

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल सचिवालय,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026**

विषय : श्री राज्यपाल सचिवालय के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-4) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(i) स्वागतकर्ता के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 1900/- को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के सादृश्य लेवल में यथावत बनाये रखा जाय।

(ii) श्री राज्यपाल सचिवालय के समान्य कोटि के पदों/संवर्गों तथा अन्य संवर्गों के पदों पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य हो रहे सादृश्य लेवल को यथावत बनाये रखा जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-7/2026-वे0आ0-2-446(1)/दस-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01

(2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,
पुष्पराज,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।